

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 966 / 14

संस्थापन दिनांक:-12 / 12 / 14

फाईलिंग नं. 233504001002014

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रु द्ध

मोहम्मद सिराज पिता मोहम्मद शफी,
उम्र 28 वर्ष, निवासी भीमनगर बोड़खी
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

—: (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 18.05.2018 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-25 (1-बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 20.11.2014 को 12:30 बजे या उसके लगभग कब्रिस्तान के पास रास्ते में बोड़खी थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे का धारदार छुरा जिसकी कुल लंबाई 12 इंच, चौड़ाई पौने 3 इंच को अपने आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।

2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 22.11.2014 को उप निरीक्षक प्रशांत शर्मा को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि कब्रिस्तान के रास्ते पर अभियुक्त हाथ में धारदार लोहे का छुरा लिये लोगों को डरा धमका रहा है। सूचना पर वह हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी के मौके पर पहुंचा जहां उसे अभियुक्त हाथ में लोहे का धारदार छुरा लिये लोगों को डराते धमकाते मिला जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। अभियुक्त द्वारा छुरा रखने के संबंध में लायसेंस न होना बताये जाने पर उसने अभियुक्त से एक लोहे का धारदार छुरा जप्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 980/14 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया

गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 20.11.2014 को 12:30 बजे या उसके लगभग कब्रिस्तान के पास रास्ते में बोड़खी थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे का धारदार छुरा जिसकी कुल लंबाई 12 इंच, चौड़ाई पौने 3 इंच को अपने आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया ?”

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

5 प्रशांत शर्मा (अ.सा.-1) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 20.11.2014 को पुलिस चौकी बोड़खी थाना आमला में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उसे कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर वह हमराह स्टाफ के साथ कब्रिस्तान के रास्ते पर पहुंचा जहां उसे अभियुक्त हाथ में लोहे का धारदार छुरा लिये लोगों को डराते धमकाते मिला। अभियुक्त द्वारा छुरा रखने के संबंध में लायसेंस न होना बताये जाने पर उसने अभियुक्त से गवाहों के समक्ष एक लोहे का धारदार छुरा जप्त कर (प्रदर्श प्री-1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अपराध क. 980/14 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-3) लेख की थी।

6 राहुल (अ.सा.-2) एवं गगन (अ.सा.-3) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफ्तारी से इंकार किया है परंतु साक्षी राहुल (अ.सा.-2) ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है। अभियोजन द्वारा उक्त दोनों ही साक्षियों से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उनके कथन से प्रकट नहीं हुआ है।

7 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी राहुल (अ.सा.-2) एवं गगन (अ.सा.-4) ने

जप्ती का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर प्रशांत शर्मा (अ.सा.-1) की साक्ष्य उपलब्ध है। **न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ़ एम०पी० ए.आई.आर. 1973 एससी 2783** के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षी की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

8 प्रशांत शर्मा (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में सूचना मिलने पर मौके पर हमराह स्टाफ और साक्षियों के साथ पहुंचना बताया है। अभियुक्त से लोहे की धारदार छुरी जप्त कर उसे गिरफ्तार करने के उपरांत थाना वापस आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख किया जाना बताया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि जप्ती प्रपत्र में सीलबंद किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है। इसके अतिरिक्त साक्षी से औपचारिक स्वरूप के प्रश्न पूछे गये हैं जिससे उसके द्वारा की गयी अनुसंधान कार्यवाही का ब्योरा प्रकट होता है।

9 जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श पी-2) में जप्ती एवं गिरफ्तार का समय 12:40 बजे लेख है। जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही एक ही समय पर की जाना अस्वाभाविक होने के साथ-साथ असंभव भी है। जप्ती एवं गिरफ्तारी प्रपत्रों में अपराध क्रमांक भी लेख नहीं है। जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-1) के अवलोकन से यह भी प्रकट नहीं हो रहा है कि अभियुक्त से जप्तशुदा आयुध जप्त कर सीलबंद किया गया हो। प्रकरण में रोजनामचा सान्हा प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपर्युक्त परिस्थितियों में अभियोजन कथा में संदेह की स्थिति निर्मित होती है जिससे निश्चायक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि प्रकरण में कथित आयुध वही है जो कि अभियुक्त से जप्त किया गया था।

10 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 20.11.2014 को 12:30 बजे या उसके लगभग कब्रिस्तान के पास रास्ते में बोड़खी थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे का धारदार छुरा जिसकी कुल लंबाई 12 इंच, चौड़ाई पौने 3 इंच को अपने आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त मोहम्मद सिराज को धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

11 प्रकरण में जप्त शुदा लोहे का एक धारदार छुरा अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट किया जावे, अपील होने की दशा में

जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

12 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

13 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)